



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

प्रो. चित्तरंजन मिश्र

Prof. Chittaranjan Mishra

कुलसचिव/ Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 19/2012-13/बो.आ.स्ट.प्रौ.अ.के./123/552

दिनांक: 10/11/2014

अधिसूचना

पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक: 45/2009 (14.07.2014 को संशोधित) के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र के अध्ययन-मंडल (Board of Studies) का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. निदेशक- | प्रो. विजय कुमार कौल, अध्यक्ष |
| 2. केंद्र के सभी प्रोफेसर- | कोई नहीं |
| 3. एक एसोसिएट प्रोफेसर (वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत) - | कोई नहीं |
| 4. एक सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत) - | श्री पीयूष प्रताप सिंह |
| 5. दो बाह्य विषय विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा नामित)- | सदस्य |

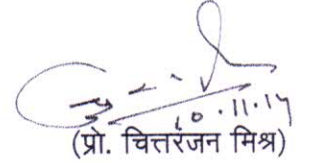
प्रो. विनीत चैतन्य

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
हैदराबाद

प्रो. उमेश देशपांडे

विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
नागपुर (महाराष्ट्र)

क्रम संख्या तीन से पाँच तक के सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।
यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।


(प्रो. चित्तरंजन मिश्र)

प्रति: संबंधित सभी।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. उपकुलसचिव (अकादमिक)
4. निदेशक, प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र
5. अधिष्ठाता, भाषा-विद्यापीठ
6. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. कार्यालय प्रति